मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

भोपाल, दिनांक 17/06/2021

क्रमांक एफ 16-29/2019/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स रमणीक पॉवर एंड एलॉयज (प्रा.) लि. (यूनिट बोदुंदाकला) द्वारा औ. क्षे. बोदुंदाकला, जिला बालाघाट में रू. 139.48 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से फेरो एलॉय संयंत्र की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को निम्नानुसार सुविधाएं दी जाये:-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - निवेश प्रोत्साहन सहायता उद्योग संवर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2020) में निहित प्रावधान अनुसार प्रदान की जाये।
2. **भूमि आवंटन** - औद्योगिक क्षेत्र बोदुंदाकला, जिला बालाघाट में 12 हैक्टेयर अविकसित शासकीय भूमि मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2019 में प्रावधानित 50% छूट के साथ 25% की अतिरिक्त छूट अर्थात कुल 75% की छूट प्रदान करते हुये आवंटित की जाये।
3. **विद्युत शुल्क से छूट:-** इकाई द्वारा लिये गये नवीन विद्युत कनेक्शन पर उत्पादन प्रांरभ दिनांक से 10 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।
4. **विद्युत टैरिफ में रियायत:-** इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रूपये 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपी आईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।
5. **प्रदूषण नियंत्रण संबंधी सम्मति-** प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी सम्मति की वैधता अवधि 2 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष हेतु शर्तों के अध्याधीन होगी।
6. **अधोसंरचना विकास सहायता** - औद्योगिक क्षेत्र बोदुंदाकला, जिला बालाघाट में 132 के.व्ही. पावर सब स्टेशन की स्थापना विद्युत पारेषण कम्पनी (ट्रान्सको) द्वारा की जाये। संबंधित विद्युत पारेषण कम्पनी द्वारा इस संबंध में अपने वार्षिक कार्य योजना (Annual Plan) में प्रावधान किया जायेगा।
7. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2020) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।
8. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।
9. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर.......

पृ.क्रमांक एफ 16-29/2019/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 17/06/2021

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर।
4. कलेक्टर, जिला - बालाघाट ।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स रमणीक पॉवर एंड एलॉयज (प्रा.) लि., मेन - रोड, जिला बालाघाट।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग